न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2018-00109RAABarmer2018-115RTA223 Lrs of Sawaram ors Vs Dhalaram etc

सवा के कायम मुकाम गोका वगैरा

01. चम्पा पुत्र गोका,
02. भगाराम पुत्र गोकाराम,
03. लूणा पुत्र गोका,
04. अचला पुत्र पुखराज,
05. नपाराम पुत्र स्व. सुजाराम,
06. विश्नाराम पुत्र स्व. सुजाराम,
07. कैलाश पुत्र स्व.. सुजाराम,
08. शारदा पुत्री स्व. सुजाराम,
09. कमु पुत्री स्व. सुजाराम,
10. पमीया पुत्री स्व. सुजाराम,
11. दमीदेवी पत्नी स्व. सुजाराम,
12. राजेन्द्र पुत्र मानाराम पुत्र रामा
13. मावा पुत्र तुलछा,
14. बाबुलाल पुत्र तुलछा,
15. सुन्दर बेवा तुलछा,

जातियान माली, निवासीगण मिठोडा, तहसील सिवाना, जिला बाडमेर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. ढलाराम पुत्र गोबरराम
2. क्यूराराम पुत्र गोबरराम,

छगना पुत्र गोबरराम के कायम मुकाम

3. किशन पुत्र छगना,
4. हितेश पुत्र छगना,
5. रविना पुत्री छगना,
6. काजू पुत्री छगना,
7. मोहनीदेवी पत्नी छगना,
8. भूरा पुत्र गोबरराम,
9. फुसा पुत्र तोगाराम,
10. चैना पुत्र तोगाराम,
11. फुसा पुत्र रूपा,
12. नरसींग पुत्र रूपा,
13. मुकना पुत्र मिसरा,

छोगा पुत्र मगना के कायम मुकामः—

14. हंजाराम पुत्र खीमा पुत्र छोगा
15. ढलाराम पुत्र खीमाराम,
16. जोगा पुत्र बुधा पुत्र खीमा,
17. सता पुत्र बुधा,
18. पुन्नी बेवा बुधाराम,
19. चौथा पुत्र देरामा,
20. मोहन पुत्र देरामा,

हस्तीमल पुत्र देरामा के कायम मुकाम
21.महेन्द्र पुत्र हस्तीमल,
22.रमेश पुत्र हस्तीमल,
23.पिंका पुत्री हस्तीमल,
24.कान्ता पुत्री हस्तीमल,
25.पुष्पादेवी पत्नी हस्तीमल,
26.जगाराम पुत्र देरामा,
27.लालाराम पुत्र देरामा,
28.बाबुराम पुत्र देरामा,
29.नाथा पुत्र हीराराम,
शंकरा पुत्र हीराराम के कायम मुकाम
30.मगाराम पुत्र हीराराम,
31.शाकलराम पुत्र हीराराम,
32.मेहरराम पुत्र हीराराम,
33.अणचीदेवी पत्नी हीराराम,
34.पूजा पुत्र हीराराम,
35.मागा पुत्र सरदाराराम,
36.नवा पुत्र सरदाराराम,
37.गीगा पुत्र सरदाराराम
प्रभू पुत्र गुमना के कायम मुकाम
38.बालकराम पुत्र प्रभूराम,
39.राजू पुत्र प्रभूराम,
40.चूना पुत्र गुमना,
41.फौजा पुत्र गुमना,
जातियान माली, निवासीगण मिठोडा, तहसील सिवाना, जिला बाडमेर।
42. शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे. वर्तमान एसबीआई शाखा प्रबंधक पादरू
43.शाखा प्रबंधक थार आचंलिक ग्रामीण बैंक वर्तमान जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा सिवाना।
44.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिवाना।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 जनवरी 2018 सहायक कलक्टर सिवाना राजस्व मूल वाद संख्या 110/2010 ढलाराम बनाम छोगाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री कपिल माली, श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री अचलाराम थोरी, श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1, 2, 7 से 10 व 13
श्री खीमाराम, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 44

नि र्ण य

दिनांक : 27 अप्रैल 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 110/2010 अनवान छलाराम बनाम छोगाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 जनवरी 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 30 अक्टूबर 2018 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से नौ/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 एवं के तहत वादग्रस्त आराजीयात मौजा मिठौड़ा तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 699 रकबा 97 बीघा 07 बिस्वा के संबंध में पुश्तैनी आधार पर खातेदारी घोषणा, एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि "झरड़े वालो पाहड़ को" के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिसमें 1/2 हिस्सा मगना का, 1/2 हिस्सा जाला का था। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 01 से 2/3 मगना के तीनो पुत्र सालूजी, छोगा व सवा के विधिक वारिसान होने से वादग्रस्त भूमि में मगना के 1/2 हिस्से में सालूजी का तीसरा होने से 1/6 हिस्सा के अनुरूप 16 बीघा 05 विस्वा भूमि वादीगण के हक हिस्से की हैं, जिस पर वादीगण आज रोज तक काबिज हैं, मगर राजस्व कर्मचारियों एवम् भू प्रबंध अधिकारीयो द्वारा मनमाने तरीके से बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अवैध व अनाधिकृत रूप से स्व. सवाजी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2, 2/1, 2/2/1, 2/2, 2/2/3 व 2/2 अर्थात गोका, रामा, मावा, बाबूलाल, श्रीमती सुन्दर 1/6 हिस्से की जगह 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया व छोगा के उत्तराधिकारीगण खीमा व देरामाराम की वल्दियत छोगाराम के उत्तराधिकारीगण खीमा व देरामाराम की वल्दियत छोगा के स्थान पर गलत तौर पर रूपाराम दर्ज कर, प्रतिवादीगण 01 व 02 के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया जो तमाम कार्यवाही नैसर्गिक विधि के सिद्धान्त की अनदेखी व अवहेलना कर सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उनके नाम राजस्व अभिलेख की खतौनी से हटा दिये, जो तमाम कार्यवाही एवम् प्रविष्टिया बिना क्षेत्राधिकार की अवैध अनुचित व आदतिशून्य हैं। वादीगण को इस बाबत जानकारी ऋण लेने की आवश्यकता होने पर खतौनी की नकल प्राप्त करने से हुयी हैं। वादीगण द्वारा वादपत्र के जरिये अपनी इस्तदुआं में वादग्रस्त खेत खसरा नम्बर 699 रकबा 97 बीघा 07 बिस्वा में 1/6 हिस्से के अनुरूप 16 बीघा 05 बिस्वा भूमि खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेद्याज्ञा जारी करने का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलान्टगण/प्रतिवादीगण द्वारा जवाब वाद पत्र पेश कर वादीगण द्वारा पेश तथ्यों का खण्डन करते हुए वादग्रस्त भूमि पर वक्त सेटलमेंट से स्वयं का कब्जा होना बताया तथा वादपत्र खारिज करने की इस्तदुआं की।. इसी दरम्याद नवीन सहायक कलक्टर न्यायालय सिवाना का सृजन होने से पत्रावली सहायक कलक्टर बालोतरा से सहायक कलेक्टर सिवाना में स्थानांतरित हो गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादीगण/उतरदाता संख्या एक से नौ का वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात राजस्व ग्राम निठौडा के खसरा नंबर 699 रकबा 101 बीघा 07 बिस्वा की खातेदारी वक्त सेटलमेंट सरदारा, हीरा, मगना पि. जाला, सवा वल्द मगना, खीमा देरामा पि. रूपा कौम माली में नाम दर्ज इन्द्राज रही है व उपरोक्त खातेदारान का नाम खसरा नंबर 699 की जमाबंदी सम्वत 2019 से 2022 व तत्पश्चात लगातार जमाबंदी में दर्ज इन्द्राज चला आ रहा है। वक्त सेटलमेंट कब्जा काश्त अनुसार उक्त खसरान की भूमि में खातेदारान का नाम दर्ज इन्द्राज किया गया, जिसकी जानकारी वादीगण/रेस्पोडेन्टस व उनके परिवार को सदैव रही है। पूर्व में भूलवंश नाम इन्द्राज होने से वक्त सैटलमेंट से 50 वर्षों तक खसरा नंबर 699 की भूमि बाबत वादीगण व उनके पुर्वजो द्वारा कोई वाद विवाद नहीं किया गया है। राजस्व ग्राम मिठौडा में मगना के वारिसान के कब्जा काश्त अनुसार अलग अलग भूमि खातेदारी में दर्ज इन्द्राज की गई, जिसकी लगान अदायगी वक्त सेटलमेंट से खातेदारान द्वारा की गई है, ग्राम मिठौडा के खसरा नंबर 709 रकबा 37 बीघा 19 बिस्वा भूमि की खातेदारी अकेले सवा वल्द मगना के खातेदारी में दर्ज हुई है। इसी प्रकार ग्राम मिठौडा के खसरा नंबर 690 रकबा 40 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 689 गै. मु. बेरा, खसरा नंबर 692 गै. मु. आबादी की भूमि गमना, हीरा, सरदारा पि. जाला, सवा वल्द मगना, रूपा मिसरा, तोगा पि. छोगा, खीया, देरामा पि. छोगा के खातेदारी में इन्द्राज रही है जो जमाबंदी सम्वत 2019 से 2022 के अवलोकन से स्पष्ट है। वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स द्वारा उक्त तथ्यो को छुपाकर केवल मात्र वादग्रस्त खसरा नंबर 699 की भूमि बाबत वाद घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जबकि वादग्रस्त खसरा नंबर 699 की भूमि वक्त सेटलमेंट से ही छोगा व सवाजी पि. मगना व जाला पि. पदमा के खातेदारी में दर्ज इन्द्राज रही है। वादग्रस्त खसरा नंबर 699 की भूमि बाबत वक्त सेटलमेंट से वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स के वालिद सालूजी को किसी प्रकार के खातेदारी हक अधिकार प्राप्त नहीं थे, न ही उक्त भूमि मगना के उत्तराधिकार में छोगा व सवाजी को प्राप्त हुई है, केवलमात्र मगना के वारिसान होने से सालूजी व उनके वारिसान में खसरा नंबर 699 की भूमि में मालिकाना हक अधिकार निहित नहीं रहे है। ग्राम मिठौडा में वक्त सेटलमेंट से खातेदारान के कब्जा काश्त अनुसार जमाबंदी में नाम दर्ज इन्द्राज हुआ है व सालूजी का नाम खसरा नंबर 690, 689 व 692 में सामलाती दर्ज इन्द्राज रहा है, उक्त तथ्यो को छुपाकर वादीगण/रेस्पोडेन्टस द्वारा सेटलमेंट के 50 वर्षों पश्चात उक्त वाद मलिन हाथो से प्रस्तुत किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि वाद पत्र के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 04 शंकरा पुत्र हीरा का देहांत दिनांक 02.02.2009 को हो गया, जिनके कायम को रेकर्ड पर लिये जाने की कार्यवाही वाद के निस्तारण तक नही की गई है। परिक्षण न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 10.09.2012 के अनुसार प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी व तारीख पेशी दिनांक 10.09.2011 से तारीख पेशी दिनांक 27.11.2017 तक पत्रावली वादी साक्ष्य हेतु लंबित रही है व तारीख पेशी दिनांक 18.12.2017 को वादीगण साक्ष्य में गवाहान के ब्यान कलमबद्ध

किये गये व तारीख पेशी 08.01.2018 को एकपक्षीय बहस सुनकर, तारीख पेशी दिनांक 22.01.2018 को अंतिम निर्णय व डिक्री बिना अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिये पारित किये गये है। अपीलांट्स/प्रतिवादीगण अधिवक्ता की अनुपस्थिति में दिनांक 10.09.2012 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी थी, तत्पश्चात वाद विचाराधीन रहने के दौरान तारीख पेशी दिनांक 04.01.2013 को प्रतिवादी संख्या 1/1 खीमा के देहांत होने पर उनके वारिसान को रेकर्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया जो स्वीकार कर खीमाराम के वारिसान को रेकर्ड पर लिये जाने का आदेश पारित किया गया, उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकृत होने के पश्चात पत्रावली पुनः वादी साक्ष्य हेतु विचाराधीन रही है। आदेशिका दिनांक 22.05.2015 अनुसार दोनो पक्ष राजस्व कैम्प में उपस्थित हुए राजीनामा हेतु सहमत नही, तारीख पेशी दिनांक 12.08.2015 को प्रतिवादी संख्या 1/1, 2/1/1, 2/2/2, 2/2/3, 2/3 के वकील उप., तारीख पेशी दिनांक 28.10.15 को वकील प्रतिवादी उपस्थित, तारीख पेशी दिनांक 05.09.2016 को वकील प्रतिवादी उपस्थित, तारीख पेशी दिनांक 24.10.2016 को दोनो पक्षो के वकील उपस्थित, तारीख पेशी दिनांक 17.04.2017 को दोनो पक्षो के वकील उपस्थित, तारीख पेशी दिनांक 24.10.2016 को दोनो पक्षो के वकील उपस्थित, तारीख पेशी दिनांक 09.10.2017 को दोनो पक्षो के वकील उपस्थित, तत्पश्चात आदेशिका दिनांक 30.10.2017 को पत्रावली का अवलोकन कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही पूर्व में होने से उनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई व प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी निर्णित होना दर्शित किया गया, जबकि प्रतिवादी संख्या 1/1 खीमा के देहांत होने पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी तारीख पेशी दिनांक 04.01.2013 को ही स्वीकृत होकर उनके वारिसान को रेकर्ड पर लिये जाने का आदेश दिया गया है, खीमा के वारिसान को उक्त वाद के नोटिस किसी भी स्तर पर प्राप्त नही हुए व दिनांक 30.10.2017 को नोटिस जारी होकर अगली तारीख पेशी दिनांक 13.11.2017 को ही प्रतिवादीगण के का.मु के विरूद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई गंयी है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने के बावजुद हाजा न्यायालय की आदेशिका अनुसार 8 वर्ष बाद प्रतिवादीगण अधिवक्ता की उपस्थित दर्ज व कैम्प न्यायालय में पक्षकारान के उपस्थित होने व आपसी राजीनामा नही होने का अंकन है, तत्पश्चात एकाएक तारीख पेशी दिनांक 18.12.2017 को वादीगण साक्ष्य पुर्ण कर एकपक्षीय बहस सुनकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो न्यायिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री काबिल खारिज है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 110/2010 बअनवान ढलाराम वगैरा बनाम छोगा वगैरा में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 22.01.2018 को अपास्त किया जावे व राजस्व रेकर्ड में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 22.01.2018 से पुर्व की प्रविष्टि अनुसार खातेदारान के नाम दर्ज इन्द्राज किये जाने का आदेश फरमावे।

जवाब में उतरदातागण के अधिवक्तागण ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात रेस्पो. की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। विचारण न्यायालय द्वारा मूलवाद में अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवायी गई तथा उनकी ओर से जवाब भी प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट्स के तत्पश्चात उपस्थित नहीं होने पर विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। अपीलांट्स द्वारा बावजूद जानकारी हस्तगत अपील अत्यंत विलंब से पेश की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित पाये जाने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय एवं अपीलांट्स की अनुपस्थिति में पारित किये गये है, जिससे अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नहीं होना लाजमी है। लिहाजा मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के तकनीकी बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय की पूत्रावली पर उपलब्ध खसरा बंदोबस्त ग्राम मिठुड़ा तहसील सीवाना संवतः 2009–2010(ई.एक्स.पी.–3) के मुताबिक आराजीयात खसरा नंबर 699 रकबा 101 बीघा 07 बिस्वा वक्त सेटलमेंट सरदारा, हीरा, गुमना पि. जाला, चवा वल्द मगना, खीमा देरामा पि. रूपा कौम माली में नाम दर्ज इन्द्राज रही है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवतः 2029–2062 ग्राम मिठौड़ा के मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात वक्त सेटलमेंट में दर्ज काश्तकारान् के वारिसान् के नाम निरंतर रूप से चली आ रही है। वादीगण ने अपने वाद में सजरा खानदान दर्शाकर कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा मगना का, 1/2 हिस्सा जाला का था। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 01 से 2/3 मगना के तीनो पुत्र सालूजी, छोगा व सवा के विधिक वारिसान होने से वादग्रस्त भूमि में मगना के 1/2 हिस्से में सालूजी का तीसरा होने से 1/6 हिस्सा के अनुरूप 16 बीघा 05 विस्वा भूमि वादीगण के हक हिस्से की हैं। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 699 के अलावा उभय पक्षकारान् के नाम से ग्राम मिठौड़ा के खसरा नंबर 709 रकबा 37 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 690 रकबा 40 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 689 गै. मु. बेरा, खसरा नंबर 692 गै. मु. आबादी की भूमिया दर्ज है, जिसमें खसरा नंबर 709 रकबा 37 बीघा 19 बिस्वा की खातेदारी अकेले सवा वल्द मगना के खातेदारी में दर्ज हुई है। खसरा नंबर 690 रकबा 40 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 689 गै. मु. बेरा, खसरा नंबर 692 गै. मु. आबादी की भूमि गमना, हीरा, सरदारा पि. जाला, सवा वल्द मगना, रूपा मिसरा, तोगा पि. छोगा, खीया, देरामा पि. छोगा के खातेदारी में इन्द्राज रही है। उक्त अभिलेख से साबित है कि वादग्रस्त आराजीयात

सहित अन्य भूमियॉ वक्त सेटलमेंट उभय पक्षकारान् के नाम सजरा खानदान के अनुसार दर्ज न होकर मौके पर तत्समय पक्षकारान् के कब्जे काश्त अनुसार दर्ज की गई है। कानूनन वक्त सेटलमेंट से मौके पर काबिज काश्तकारान् का बिना किसी ठोस साक्ष्य के राजस्व रेकर्ड से विलोपित नहीं किया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि वादीगण/रेस्पो. द्वारा वक्त सेटलमेंट उभय पक्षकारान् के नाम दर्ज समस्त भूमियों को अपने वाद पत्र में सम्मिलित न कर केवल खसरा नंबर 699 के संबंध में ही इतनी लंबी अवधि बाद बिना किसी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के वाद प्रस्तुत कर केवल सजरा खानदान के आधार पर खातेदारी अधिकारो का अनुतोष चाहा गया है, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादीगण विचारण न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से उपस्थित नहीं हुए है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत तथा मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने प्रकट होते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 110/2010 अनवान छलाराम बनाम छोगाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 जनवरी 2018 खारिज किये जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर